25-2-2021

वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली मे विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली मे निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

मु०न० 193/02 आर.सी.एम.एस.नं. 2002/00018 ता०रजू 17-06-2002

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार उपखण्ड अधिकारी करौली

उनवान

ठाकुर जी श्री दाऊजी महाराज विराजमान गुरजा कस्बा करौली व जरिये मोहतमिम

1. राधेश्याम पुत्र मूल चन्द, जाति महाजन
2. पुरूषोत्तम पुत्र जीवन लाल जाति महाजन
3. केशव पुत्र शिवशंकर जाति बाह्मण, निवासी– करौली
4. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सूरजमल महाजन, निवासी– करौली
5. निरीक्षक देवस्थान विभाग– वाद मित्र

वादी

बनाम

1. भगवानदास चेला सीताराम (फौत)

1/1 हरीचरण पुत्र नामालूम, जाति–बाह्मण, निवासी – करौली–

दावा 88, 188 RTAct

प्रतिवादी

निर्णय दिनांक 25–02–2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ठाकुर जी श्री दाऊजी महाराज वांके विराजमान, गुरजा, कस्बा करौली की ओर से वादीगण ने यह वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि कस्बा करौली, तहसील– करौली, आराजियात खसरा नम्बर 4748 [illegible] 4753 वा 4757, 4761

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कुल किता 8 कुल रकवा 12 वीघा 19 बिस्वा माफी मंदिर वादीगण को माफी की है, जिसकी आमदनी से श्री दाऊजी महाराज के रागभोग का प्रबंध होता है। प्रतिवादी मंदिर दाऊजी महाराज का पुजारी है, ठाकुर जी की जायदाद पर उसका कोई हक नही है। वादी ठाकुर जी के प्रार्थियान वादीगण मोहतमिम है और ठाकुर जी के रागभोग व जायदाद की व्यवस्था करतें चले आ रहे है। यह ठाकुर जी श्री दाऊजी हिन्दुओ का पवित्र स्थान है जहाँ हिन्दु लोग दर्शनार्थ एवं सेवा पूजा करने हेतु दाऊजी पर आते है तथा वादीगण भी सेवा पुजा करने हेतु दाऊजी पर आतें है। प्रतिवादी के दिल में वदनियती आ गई है और वह गलत तरीके से वाद पत्र के मद नं. 01 में दर्ज आराजीयात को व्यय करना चाहता है। वह कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से उक्त आराजीयात के विक्रय की बात कर रहा है। अगर प्रतिवादी ने उक्त आराजीयात को व्यय कर दी तों ठाकुरजी दाऊ जी की सेवा पुजा की आमदनी समाप्त हो जावेगी, तथा रागभोग नही लग सकेगा और ठाकुर जी श्री दाऊजी महाराज के हितो पर कठोर आघात पडेगा। ठाकुर जी श्री दाऊजी परप्यूचल माइनर है। इसकी जायदाद व्यय करने का प्रतिवादी को कोई अधिकार नही है। इसलिए प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना आवश्यक है कि यह वादी की खातेंदारी की आराजीयात को व्यय नही करें। दिनांक 20–06–1988 को प्रतिवादी द्वारा ऐलानिया उक्त आराजी को व्यय करने की धमकी देने पर यह दावा पेश किया गया है अतः दावावादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। दावावादी दर्ज किया जाकर प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(3)

प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जबाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र को अस्वीकार व गलत कथन करते हुए कथन किया है कि खसरा नं. 4752, 4753 वल्लभदास चेला भवानीदास के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी। यह दोनो किता ठाकुर जी महाराज के खाते में नही थी, यह आराजीयात वल्लभदास की माफी की है ना कि ठाकुरजी दाऊजी महाराज की है, वल्लभदास के बाद सीतारामदास व उसके बाद में भगवानदास इन पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हूँ। आराजी खसरा न0 4748, 4749, 4750, 4751 व 4757 की वल्लभदास के खातेदारी की थी, उनके बाद सीताराम व उनके बाद मुझ भगवानदास के खातेदारी व कब्जे काश्त की है कुल हकूक खातेदारी व काश्तकारी मुझ भगवानदास मे वेस्ट करते है इन जमीनो का दाऊजी महाराज से कोई ताल्लुक नही है, मैं ठाकुर जी दाऊजी महाराज का मोहतमिम हूँ। इसलिए वादी ने यह दावा मंदिर की आराजी बताकर गलत तौर से दायर कर दिया है। आराजी खसरा न0 4761 दाऊजी महाराज मैं काश्त कर रहा हूँ। वादीगण न तों मंदिर के प्रबंधक है और ना मोहतमिम है। वादीगण स्वयं मुझसे रंजिश रखते है, इसलिए इन्होंने गलत तथ्यों पर यह गलत मुकदमा दायर किया है। मैं मंदिर का रागभोग सेवा पूजा व सारे इंतजाम कर रहा हूँ वादीगण बिना वजह दखल देते जिसकी उनको मना किया इसी वजह से उन्होनें यह दावा कर दिया है वादीगण इन जायदादो को स्वयं लेना चाहते है, और मंदिर के खिलाफ इंन्ट्रेस्ट रखते है। इन्होने गलत [illegible] अपना नाम खसरा नं. 4761 पर दर्ज करा लिया है वादी का यह कहना है कि प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मंदिर का पुजारी है। प्रतिवादी मंदिर का प्रबंधक व मौहतमिम है और तीन पुस्त से प्रतिवादी व प्रतिवादी के गुरू आराजियात मुतनाजा पर सिवाय खसरा न. 4761 व हैसियत खातेदार काबिज रहतें आ रहे है। और खसरा न. 4761 पर व हैसियत प्रबंधक व मौहतमिम काबिज है, वादीगण मंदिर के मौहतमिम नही है। दाऊजी पर समस्त हिन्दु दर्शानार्थी आते जाते है दर्शन करते है और प्रतिवादी का अशीर्वाद प्राप्त करते है, प्रतिवादी ना तो मंदिर की जमीनो को बेच रहा ना मुंतकिल कर रहा है। झूठा इलजाम लगाया है वादीगण को दायरी दावा का कोई हक नही है। वादीगण को ठाकुर जी की तरफ से दावा दायर करने का कोई अधिकार नही है, प्रतिवादी का मंदिर का पुजारी होना सही है प्रतिवादी मंदिर का प्रबंधन व मोहतमिम भी तीन पीढी से चला आ रहा है। खसरा न0 4761 पर प्रतिवादी प्रबन्धक काबिज चले आ रहें है। प्रतिवादी ना तो आराजीयात को व्यय कर रहा है ना किन्ही प्रभावशाली व्यक्तियों से विक्रय की बात कर रहा है। मंदिर ठाकुर जी का अवयस्क होना सही है किन्तु सम्पूर्ण आराजी को व्यय करने का अधिकार ना होना गलत दर्ज किया गया है। खसरा नं 4761 के अलावा शेष भूमि को विक्रय करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रतिवादी को प्राप्त है। वादीगण ने खसरा न0 4761 के सम्बन्ध में ठाकुर जी के साथ राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम भी गलत दर्ज करवा लिये है। और वादीगण के हित ठाकुर जी से विरूद्ध है। वादीगण का दावा धारा 92 सी.पी.सी. के अधीन चलने योग्य नही है। ... आराजीयात खसरा न. 4748, लगायत 4753 व 4757 कुल ... 10 बीघा 19 विस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कस्बा करौली वल्लभदास व कब्जे काश्त की थी। जिसमें से खसरा न. 4752, 4753 वल्लभदास की माफी पुन्यार्थ में खुद काश्त की होने के कारण प्राप्त हुई थी। उक्त भूमि पर वल्लभदास वाहिदरूप से काश्त करतें व फसल से लाभ उठातें रहें है। उनके बाद आराजी को उनके चेले सीताराम दास व सीतारामदास के बाद उनके चेले भगवानदास ने विवादित उक्त आराजीयात को काश्त किया, भगवानदास के स्वर्गवास के बाद विवादित आराजीयात को प्रतिवादी हरीचरण विना किसी रोकटोक के काश्त कर व फसल से लाभ अर्जित करता चला आ रहा है। प्रतिवादी हरिचरण स्वर्गीय भगवानदास का दीक्षा प्राप्त शिष्य है। प्रतिवादी अपने बचपन से ही उक्त मंदिर में अपने गुरू के पास रहकर ठाकुरजी की सेवा पूजा करता व चेले के अपने दायित्वों का निर्वहन करता चला आ रहा है। और भगवानदास की मृत्यु के बाद से भगवानदास को प्राप्त ठाकुर जी के मंदिर के प्रबंधक व मोहतमिम संबंधी समस्त अधिकार प्रतिवादी में निहित हो चुके है, खसरा न0 4761 में काश्त करता चला आ रहा है एवं खसरा नं. 4748 लगायत 4753 व 4757 पर वतौर खातेदार काबिज चला आ रहा है। भगवानदास द्वारा प्रतिवादी के हक में अपने जीवनकाल मे दिनांक 03–03–2001 को एक वसीयत पत्र कार्यालय उप पंजीयक करौली में पंजीयन करातें हुए अपनी मृत्यु की अवस्था में अपनी समस्त जायदाद का अधिकारी प्रतिवादी को बनाया है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी खसरा न0 4748 लगायत 4753 व 4757 पर वसीयत की ... भी खातेदार बन चुका है और काबिज है। वादीगण ने बिना किसी अधिकार के निराधार उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आराजी का विक्रय पत्र अपने विक्रेतागण से अपने नाम से करवाया है। जब कि वादीगण को वादग्रस्त आराजी व्यय करने वाले विक्रेतागण कभी भूमि के खातेदार काश्तकार नही रहें उक्त विक्रय पत्र राममूर्ति द्वारा दिनांक 23–05–61 को कराया जाना बताया गया है जवकि 23–05–61 के करीब सम्वत 2018–2019 पडता है। उक्त सम्वत मे विक्रेता राममुर्ति के नाम कभी भी उक्त आराजी की खातेदारी अंकित नही रही वल्कि उक्त सम्वत में भूमि बल्लभदास के नाम खातेदारी मे अंकित रही थी। इस प्रकार उक्त बेचान खिलाफे कानून और विना अधिकार ऐविन इश्यू वोईड था, और विक्रय पत्र से वादीगण अथवा ठाकुर जी को कोई अधिकार पैदा नही होतें है इस प्रकार उक्त आधारों पर प्रतिवादी जरिये काउण्टर क्लेम विवादित भूमि का खाता स्वयं के नाम किये जाने बावत् घोषणा करवाकर जरिये काउण्टर क्लेम इन्द्राज दुरूस्त कराने का अधिकारी है। अंतं में काउण्टर क्लेम प्रतिवादी हरिचरण डिक्री किये जाने व दावा वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण द्वारा जबाव काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर प्रतिवादी हरिचरण के काउण्टर क्लेम को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि आराजीयात कस्वा करौली में है। जो लवे सडक है एवं राजकीय महाविद्यालय के सामने है जिसके इर्द गिर्द काफी वस्ती हो चुकी है। सम्पूर्ण भूमि वादी ठाकुर जी दाऊजी महाराज के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। समस्त हक हकूक शुरू से ही ठाकुर जी में निहित रहें है। उक्त आराजीयात से किसी किस्म का कोई ताल्लुक प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

(2)

का नही है। ना ही वल्लभदास के खातेदारी व कब्जे काश्त में रही है। कभी भी अपने जीवनकाल मे उक्त आराजी को वल्लभदास ने व उसके देवलोक जाने के बाद सीताराम ने सीताराम के वाद भगवानदास ने काश्त नहीं किया है बल्कि आराजी शुरू से ही ठाकुर जी के खुद काश्त की रही है। और ठाकुर जी की ओर से इस आराजी पर राममूर्ति ब्राह्मण काश्त करता रहा है। इस आराजी की आय से रागभोग व सेवा पूजा ठाकुर जी की व्यवस्था हम वादीगण वतौर मोहतमिम व इससे पूर्व हमारे पूर्वजो द्वारा व पांच आदमियों द्वारा व्यवस्था की जाती रही है। कभी भी उक्त आराजीयात को वल्लभदास, सीतारामदास, भगवानदास व हरिचरण द्वारा व हैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में व अन्य किसी रूप से काश्त नही किया गया ना ही इनका कोई कब्जा काश्त रहा है। बादीगण मंदिर ठाकुर जी, दाऊजी जी के मोहतमिम व प्रबन्धक है। और सारी व्यवस्था ठाकुर जी के रागभोग एवं सेवा पूजा की जाती रही है। वादीगण को दावा दायर करने का पूर्ण हक है। वादीगण के हक ठाकुरजी के प्रतिकूल नही रहे है। राजस्व रिकॉर्ड में जो ठाकुर जी के नाम खातेदारी इन्द्राज है वह सही है, कानूनन है, ठाकुर जी के हको को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके हक में वादीगण द्वारा सही दावा प्रतिवादीगण के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है। कभी भी ठाकुर जी के रागभोग सेवा पूजा का खर्चा व इंतजाम प्रतिवादी द्वारा या वल्लभदास द्वारा नही किया गया वल्कि प्रतिवादी के दिल में उक्त जमीन को हडपने की वदनियती आ गई, और वह भू–माफियाओं से साज कर गये व उक्त जमीन में भूख... ...ण करने को उतारू

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हो गये, जिसको रूकवाने हेतु वादीगण की ओर से सही तथ्यो पर दावा किया गया, भगवानदास मंदिर के मोहतमिम व प्रबंधक आज तक नही रहें ना ही इन्होने आज तक कभी भी ठाकुर जी की सेवा पूजा एवं रागभोग की व्यवस्था की, व्यवस्था की, यह तों मात्र पुजारी थे, जिनको सेवा पूजा करने हेतु पांच आदमी ग्राम छावर से लाये थे, और इनको पुजारी नियुक्त देवस्थान विभाग से करवाकर सेवा पूजा का अधिकार ठाकुर जी का दिया गया था, कभी भी सीताराम जी के गुरू वल्लभदास जी नही रहे ना ही सीताराम या वल्लभदास कभी भी ठाकुर के मोहतमिम व प्रबन्धक नही रहें प्रतिवादी द्वारा कभी भी ठाकुर जी की जायदाद की देखभाल नही की गई वल्कि इनके हित ठाकुर जी के विपरीत है। और ठाकुर जी की खातेदारी की आराजीयात के खाते को कैंसिल करवाकर अपना नाम कराना चाहते है और उससे भूमाफियाओ से मिलकर भूखण्ड निर्माण कर निजी लाभ कमाना चाहते है, इसी उद्देश्य से इन्होने यह अवधि पार काउण्टर क्लेम गलत तथ्यो पर आधारित कर पेश किया है प्रतिवादी का उद्देश्य उक्त जायदाद को व्यय करने का रहा है। जिसके लिए प्रतिवादी ने प्रभावशाली व भूमाफियाओं से विक्रय करने की बात कर ली है। ठाकुर जी की खातेदारी की किसी भी भूमि को विक्रय करने का अधिकार प्रतिवादी को नही है। प्रतिवादी हरिचरण, भगवानदास का दीक्षा प्राप्त चेला नही है, बल्कि गृहस्थी है और ग्रहस्थ जीवन मे यापन कर रहा है कभी भी प्रतिवादी ने कोई दीक्षा भगवानदास से प्राप्त की है, ना ही कोई सेवा पूजा ठाकुर जी की प्रतिवादी ने भगवानदास के साथ की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

भगवानदास के आचार विचार हिन्दू धार्मिक परम्पराओं के प्रतिकूल हो गये थे और शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नही रहने लगा, तो उन्होने दौराने दावा हरिचरण प्रतिवादी को जो उनका भांनजा है, को मय परिवार के दाऊजी के मंदिर पर बुला लिया था, जो सम्प्रदाय के धार्मिक नियमों के प्रतिकूल मय परिवार के दाऊजी के गुरजे पर रहने लग गया और सेवा पूजा में हाथ बटाने लग गया, यह सेवा पूजा करने हेतु ना तो वादीगण की और से नियुक्त किया गया ना ही देवस्थान विभाग द्वारा नियुक्त पुजारी है। ना ही इसके किसी प्रकार के हक हकूक विवादित आराजीयात के बावत् व ठाकुर जी सेवा पूजा के बावत् प्राप्त हो सकतें है। ना ही यह प्रबंधक व मोहतमिम है ना कोई कार्य इस हैसियत से करता है ना ही यह ठाकुर जी के रागभोग सेवा पूजा की व्यवस्था करता है, वल्कि इसका हित ठाकुर जी के एवं उनकी सम्पत्ति के प्रतिकूल है येन केन प्रकारेण ठाकुर जी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि को भूमाफियाओं से मिलकर हड़पना चाहता है और भूखण्डो के रूप में विक्रय कर लाभ कमाना चाहता है, और प्रतिवादी का उद्देश्य केवल मात्र ठाकुर जी की सम्पत्ति को खुर्द बुर्द करने का है। ठाकुर जी की सम्पत्ति कोई वसीयत भी कानूनन नही की जा सकती है। तब भी प्रतिवादी ने चालाकी पूर्ण रवैया अपनाकर जबाव दावे के मुताविक अपने हक में जो वसीयत करवायी है वह फर्जी है कानूनन शून्य है ना ही इस वसीयतनामें से किसी प्रकार के हक हकूक प्रतिवादी को प्राप्त हो सकतें हैं जो व्ययनामें करवाये गये है वह ठाकुर जी के हित मे करवाये गये है। प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम चलने

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

10

योग्य नही है, मियाद बाहर है, भूमि ठाकुर जी के खुद काश्त की है, ठाकुर जी की ओर से राममूर्ति ब्राह्मण काश्त करता था, और प्राप्त आय से ठाकुर जी के रागभोग व सेवा पूजा की व्यवस्था वादीगण द्वारा व इससे पूर्व वादीगण के पूर्वजो द्वारा व पांच आदमियो द्वारा समय–समय पर की जाती रही है। वल्लभदास का स्वर्गवास सन् 1956 के आस पास हो गया था, इन्होने ठाकुरजी की सेवा पूजा अपने जीवनकाल में की थी, उसके देवलोक जाने के बाद उनके चेले सच्चिदानन्द ने चार पांच माह ठाकुर जी की सेवा पूजा की थी, और उसके बाद सन् 1957 से वल्लभदास के दूसरे चेले वंशीदास जी ने ठाकुर जी की सेवा पूजा सन् 1963 तक की थी। जिस बावत् इन्द्राज देवस्थान विभाग में भी दर्ज है वंशीदास जी की नेत्रज्योति कम हो जाने के कारण ठाकुर जी की सेवा पूजा अपनी ओर से नथुआ लाल ब्राह्मण से करवाना शुरू कर दिया था, इसी दौरान सन् 1963–64 के दौरान भगवानदास जी जो सीताराम जी के चेले थे, और सीताराम जी माधौदास के चेले थे, जो अलग अलग सम्प्रदाय के थे, लेकिन भगवानदास जी धार्मिक भावनाओ से ओत प्रोत थे, और यह ग्राम छाबर में ठाकुर जी की सेवा पूजा करते थे, जहां से सेवा पूजा करने हेतु पांच आदमियों द्वारा दाऊजी पर लाया गया था, और इन्होने अपनी सेवा पूजा की और देवस्थान विभाग द्वारा इनको ठाकुर जी की सेवा पूजा करने हेतु बाद मे पुजारी नियुक्त कर दिया गया थ, वल्लभदास जी के चेला कभी भी सीतारामदास जी या उनके गुरू माधौदास जी या सीताराम जी के चेले भगवानदास जी नहीं [illegible] लिए प्रतिवादी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(11)

जबाव दावा मे काउण्टर क्लेम में बिना किसी साक्ष्य के गलत अंकित किया है कि सीताराम जी वल्लभदास के चेले रहे है। स्वयं भगवानदास जो इस प्रकरण में प्रतिवादी थे, उन्होनें 14–08–68 को एक तहरीर उक्त विवादित जमीन के बावत् ठाकुर दाऊजी के हक मे तहरीर तकमील चिरंजीलाल शर्मा से करवायी और उस पर अपने हस्ताक्षर किये और उस पर पांच आदमियों के गवाही गवाहान हुई थी, जिस तहरीर में उक्त आराजी को ठाकुर जी की आराजी मानना स्वीकार किया, व रागभोग की व्यवस्था हेतु आय के वास्ते अंकित कराया, इसके बाद पुनः हरप्रसाद शर्मा से दिनांक 05–08–73 को एक तहरीर तकमील इस आशय के साथ करवायी की इन जमीनो की खातेदारी मेरे नाम हो गई है वह गलत हुई है, वास्तव मे यह जमीन दाऊजी महाराज की है मैं जमीनों का मालिक नही हूँ। इसलिए उक्त सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी ठाकुर जी दाऊजी के नाम अंकित कर दी जावे, जिस बावत् आवश्यक प्रार्थना पत्र भी भगवानदास की ओर से सक्षम अधिकारीयो के यहां प्रस्तुत किये गये और विधिवत खातेदारी ठाकुर दाऊजी महाराज के नाम की गई, जिसकी जानकारी शुरू से ही प्रतिवादी को रही जिस स्वीकृति से प्रतिवादी हरिचरण पाबंद है और उसके बाबजूद गलत तथ्य पर आधारित काउण्टर क्लेम प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वल्लभदास सन् 1956–57 मे फौत हो गये थे। और राजस्व कर्मचारियो द्वारा इनके नाम विना जानकारी में विधि प्रतिकूल ठाकुर जी दाऊजी के खातेदारी इन्द्राज करने के स्थान पर वल्लभदास के नाम कर दिये थे, जो कानून [illegible] थे अवैध थे, जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गलत इन्द्राज के आधार पर कोई हक वल्लभदास को प्राप्त नही हो सकते, क्यो कि वल्लभदास पुजारी की हैसियत से ठाकुर जी की पूजा करने हेतु कार्यरत थे, उक्त विवादित आराजी उनकी कोई निजी सम्पत्ति नही थी, बल्कि भूमि पर ठाकुर जी की ओर से राममूर्ति ब्राह्मण करौली काश्त सैटेलमेन्ट पूर्व से ही करता आ रहा था, जो साल वाई साल था, जिसकी भेज ठाकुर जी को देता था, लेकिन भविष्य में ठाकुर जी के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड जावे इस दृष्टि से ठाकुर जी के हित मे उससे वयनामा सन् 1961 में करवाया गया इसी प्रकार सन् 1961 मे ही गौरखी कहार से ठाकुर जी के हित में करवाया गया। जो पांच आदमियों के माध्यम से हुआ जो ठाकुर जी के उस समय मोहतमिम थे, व रागभोग व सेवा पूजा की सभी व्यवस्था करते थे, और वादीगण के पूर्वज भी थे। वल्लभदास के ह क मे सन् 1964 तक गलत इन्द्राज रहे उन गलत इन्द्राजो के आधार पर ही भगवानदास ने अपने नाम गलत नामान्तरण सरपंच से मिलकर वादीगण की बिना जानकारी के विधि प्रतिकूल अपने नाम करा लिये जबकि उक्त नामान्तरण के कॉलम नं. 11 व 16 मे उक्त भूमि ठाकुर जी दाऊजी महाराज की माफी मे होना अंकित पटवारी हल्का द्वारा किया गया था। जिस नामान्तरण की पुस्त पर वल्लभदास का देवलोक जाना 8 साल अंकित किया हुआ है, जिस गलत नामान्तरण के आधार पर जो राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज भगवानदास के नाम से किय गये थे, वह विधि प्रतिकूल थे अवैध थे, और कानूनन शून्य थे। जिस अवैध इन्द्राज की दुरूस्ती स्वयं भगवानदास ने राजस्व रिकॉर्ड मे ठाकु नाम करवाया गया थ,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(13)

और तहरीर भी वादीगण के हक मे अपने हस्ताक्षर कर लिखकर दी गयी जिन तहरीरों का हवाला ऊपर के मदो मे किया जा चुका है की जानकारी प्रतिवादी को रही थी, फिर भी यह गलत काउण्टर क्लेम प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है जो विधि प्रतिकूल है और मियाद बाहर है जिससे कोई कानूनी हक प्रतिवादी को प्राप्त नही हो सकता है। अन्त मे दावा वादी डिक्री किये जाने एवं काउण्टर क्लेम प्रतिवादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनो के आधार पर निम्न विवाधक बिन्दु विरचित किये गये।

1. आया आराजियात मुतदाविया वादपत्र मद न0 1 दाऊजी महाराज करौली की है। – वादी
2. आया प्रार्थीगण जमनालाल पुत्र धन्नाराम, अमरचन्द पुत्र दुर्गालाल, शिवशंकर पुत्र हुकम चन्द, ठाकुर जी दाऊजी के मोहतमिम है रागभोग की व्यवस्था आदि करते चले आ रहे है। – वादी
3. आया प्रतिवादी की हैसियत पुजारी की है ठाकुर दाऊजी की जायदाद को बेचने बावत् दिनांक 20–06–88 को ऐलानिया धमकी दी – वादी
4. आया आराजीयात जबाव वादपत्र मद न0 1 में अंकित खसरा नं0 4761 को छोडकर प्रतिवादी भगवानदास के कब्जे को खातेदारी में रही है, वादीगण ना तो ठाकुर दाऊजी के मोहतमिम है और ना ही प्रबंधक है। – प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

5. आया वादपत्र वादीगण धारा 92 CPC चलने योग्य नही है।– प्रतिवादी

5.(A) आया विवादित आराजियात वल्लभदास चेला भवानीदास के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी जिसमें खसरा नं0 4752 व 4753 माफी पुण्यार्थ में खुद काश्त होने के कारण प्राप्त हुई उनकी मृत्यु के पश्चात चेले सीताराम दास व उनकी मृत्यु के पश्चात भगवानदास व भगवानदास की मृत्यु के पश्चात चेला हरिचरण को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 03–03–01 के द्वारा काश्त मे वेरोकटोक चली आ रही है। – प्रतिवादी

5.(B) आया दिनांक 23–05–1961 को राममुर्ति द्वारा वादीगण के नाम बेचान कराया जाना बतलाया है। यह बेचान खिलाफ कानून और विला अधिकार ऐविन इश्यू वोईड था, जिससे वादीगण व ठाकुर जी दाऊजी महाराज को कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादी जरिये काउण्टर क्लेम विवादित आराजी खसरा न. 4748 लगायत 4753 व 4757 की खोतदारी अपने नाम घोषित कराने का अधिकारी है। – प्रतिवादी

5.(C) आया प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम म्याद बाहर है और चलने योग्य नही है। – वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

वाद विवाधक विन्दु वादीगण साक्ष्य ली गयी वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य मे वादी [illegible] 1 गवाह केशव चन्द

(15)

शर्मा PW-2 रामस्वरूप महाजन PW-3 के बयान लेखबद्ध है एवं दस्तावेजी सबूत में प्रदर्श–1 लिखापढी दिनांक 14–08–68 बयनामा दिनांक 05–07–61 पंजीयन दिनांक 06–07–61 व प्रदर्श– 3 बयनामा दिनांक 23–05–61 नकल जमाबंदी प्रदर्श–4 व 5 नामान्तकरण प्रदर्श–6 तहरीर पुजारी ठाकुर दाऊजी प्रदर्श–7, गजट मंदिरान प्रदर्श–8, नियुक्ति पुजारी प्रदर्श–9 व 11, मिसिल तजबीज प्रदर्श–12, प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये गये है। साक्ष्यवादी समाप्त की गई।

प्रतिवादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी हरिचरण DW-1 गवाह राजेन्द्र व्यास DW-2 के बयान लेख बद्ध कराये है, एवं दस्तावेजी सबूत में नकल खाता वल्लभदास प्रदर्श D-1 व जमाबंदी प्रदर्श D-2 व जमाबंदी प्रदर्श D-3 व खाता प्रदर्श D-4 एवं वसीयत प्रदर्श D-5 प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये है। साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

वहस वकील उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादीगण का वहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजियात वादीगण मंदिर ठाकुर दाऊजी की खातेदारी व कब्जे की खुद काश्त भूमि है। जिससे प्रतिवादी भगवानदास व हरिचरण को कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है। भगवानदास वल्लभदास का चेला नही है। सीताराम का है। भगवानदास की मृत्यु के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(16)

दावा मे भगवानदास के स्थान पर हरिचरण चेला भगवानदास को वतौर प्रतिवादी न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाये जाने पर हरिचरण द्वारा जबाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजियात खसरा न0 4748 लगायत 4757, 4761 का करवा करौली मे स्थित होना स्वीकार है। अन्य तथ्यों को गलत व अस्वीकार किया है और कथन किया है की आराजीयात में से केवल मात्र खसरा न 4761 ही वादी ठाकुर जी के खातेदारी की रही है। शेष सम्पूर्ण आराजीयात से वादी ठाकुरजी का कोई ताल्लुक किसी किस्म का नही रहा है। वल्कि आराजी खसरा न. 4748 लगायत 4753 व 4757 कुल रकवा वल्लभदास के खातेदारी व कब्जे काश्त का रहा है। वल्लभदास अपने जीवनकाल तक स्वयं काश्त करते व काश्त से लाभ उठाते रहे, वल्लभदास की मृत्यु के बाद इस आराजी को चेले सीतारामदास द्वारा काश्त कराया जाता रहा, सीतारामदास के महाप्रयाण के बाद से इस आराजी को भगवानदास द्वारा निरन्तर काश्त किया जाता व काश्त फसल से लाभ उठाया जाता रहा है। तथा राजस्व रिकॉर्ड मे भी आराजी खसरा नं. 4748 लगायत 4753 व 4757 की खातेदारी भगवानदास के नाम से ही दर्ज है। भगवानदास का देहान्त हो चुका है। उसके मरने के बाद से उक्त आराजीयात को प्रतिवादी हरिचरण काश्त करता चला आ रहा है। खसरा न. 4761 पर प्रतिवादी का व हैसियत मोहतमिम व प्रबंधक कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में ठाकुर जी के नाम गलत तौर पर किये गये इन्द्राज के पर सम्पूर्ण जमीन को

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हडपने हेतु पेपर एन्ट्री का लाभ लेने के लिए निराधार दावा प्रस्तुत किया है। मंदिर का रागभोग का सेवा पूजा का सारा खर्च व इन्तजाम प्रतिवादी ही करता चला आ रहा है। वादीगण विना वजह दखल देते है। जिससे मना करने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से रंजिश रखते हुए गलत तौर पर इस जायदाद को हडपने के लिए पूरी आराजीयात को ठाकुर जी की क्लेम करने लग गये है। वादीगण का इन्ट्रेस्ट ठाकुर जी के विरूद्ध है तथा उन्होने खसरा न. 4761 मे ठाकुर जी के साथ साथ गलत तौर पर वादीगण ने नाम गलत तौर पर अंकित करवा लिये है। जिसके वादीगण मोहतमिम व प्रबंधक हैं। वकील वादीगण का वहस व कथन मंदिर ठाकुर जी दाऊजी महाराज वाके कास्वा करौली गुरजा में है जिससे वादीगण को मंदिर की आरे से दावा दायर करने का हक है वादग्रस्त आराजीयात मंदिर के खातेदारी व कब्जे की खुद काश्त भूमि है। जिससे वादीगण मंदिर ठाकुर जी दाऊजी के रागभोग सेवा पूजा की व्यवस्था उससे प्राप्त आय से करते है। प्रतिवादी मंदिर का पुजारी भगवानदास है। और उसका कोई हक मंदिर की जायदाद पर नही है। यह मंदिर हिन्दुओ का पवित्र स्थान है हिन्दु लोग दर्शानार्थ एवं सेवा पूजा करने को दाऊजी पर आतें है तथा वादीगण भी सेवा पूजा करने मंदिर ठाकुर जी दाऊजी पर आतें है। वादीगण का मदिर के प्रतिकूल कोई हित नही है। प्रतिवादी मंदिर की भूमि को प्रभावशाली व भूमाफियाओ को विक्रय करने पर आमादा है। और बातचीत विक्रय की कर रहा है। जिससे मंदिर के रागभोग स सेवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

18

पूजा की व्यवस्था समाप्त हो जावेगी, और मंदिर के हितों पर कठोर आघात पड़ेगा, इसलिए वादीगण प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के हकदार है उक्त आराजी वल्लभदास के खातेदारी व कब्जे काश्त में नही रही है। ना ही सीतारामदास व भगवान दास के कब्जे काश्त में रही है। वल्कि उक्त आराजी शुरू से ही ठाकुरजी की खुद काश्त की रही है और ठाकुर जी की और से इस आराजीयात को राममूर्ति ब्राह्मण काश्त करता रहा है। राममूर्ति व गोरखी से वयनामा मंदिर के हित मे कराये गये है। स्वयं भगवानदास का स्वीकृत तथ्य है कि भूमि ठाकुर जी दाऊजी के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। मेरे हक में गलत खातेदारी दर्ज हुई है। इसे उसने तहरीर दिनांक 14–08–68 को लिखि गई, जिससे भगवानदास पाबंद है। इसके बाद पुनः 05–08–73 को एक तहरीर भगवानदास ने हरप्रसाद शर्मा से तहरीर तकमील करवायी कि, इन जमीनो की खातेदारी मेरे नाम से हो गई है। वह गलत हुई है। वास्तव में यह जमीन दाऊजी महाराज की है और मैं इन जमीनो का मालिक नही हूँ, और सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी ठाकुरजी के नाम अंकित कर दी जावे। जिस बावत् उसने आवश्यक प्रार्थना पत्र कार्यवाही भी अपनी ओर से सक्षम अधिकारियों के यहॉ प्रस्तुत किये है। और विधिवत मंदिर वादीगण के नाम की गई इस स्वीकृति से प्रतिवादी हरिचरण भी पाबंद है। भगवानदास वल्लभदास का चेला नही है। सीताराम भी वल्लभदास का चेला नही है। सीताराम माधोदास का चेला है। प्रतिवादी हरिचरण [illegible] वसीयत के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर भूमि को हडपना चाहता है, हरिचरण मंदिर का पुजारी व्यवस्थापक , व प्रबंधक नही है। मंदिर राजकीय सुपूर्दगी का है। जिसके समस्त अधिकार देवस्थान विभाग में निहित है। वादीगण का दावा डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादी का वहस में कथन है कि वादग्रस्त खसरा नं.4761 के अलावा समस्त आराजीयात वल्लभदास के तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसके वल्लभदास के मरने के बाद चेला भगवान दास के हक में नामान्तरण संख्या 186 से विधीवत खातेदारी इन्द्राज हुए है। और भगवानदास अपने जीवनकाल तक भूमि पर तन्हा खातेदार काबिज काश्त रहा है। भगवानदास मंदिर का मोहतमिम व प्रबंधक व पुजारी था। वादीगण मंदिर के मोहतमिम व प्रबंधक नही है। वादीगण भगवानदास की सेवा पूजा मंदिर ठाकुर जी की मे दखल करते थे, जिसकी मना करने पर वादीगण ने यह गलत तथ्यो पर दावा पेश किया है। भगवानदास ने प्रतिवादी हरिचरण को अपने जीवनकाल मे दीक्षा देकर चेला बनाया है, और भगवानदास ने अपने जीवनकाल मे दिनांक 03-03-2001 को प्रतिवादी हरिचरण के हक में रजिस्टर्ड वसीयतनामा कराया है। प्रतिवादी हरिचरण मंदिर का मोहतमिम व प्रबंधक एव पुजारी है। मंदिर के हक में वादग्रस्त भूमि की गलत खातेदारी दर्ज हुई है। राममूर्ति वक्त वयनामा भूमि का खातेदार नही रहा है। वयनामा विना आधार है प्रतिवादी हरिचरण भूमि पर भगवानदास के जीवनकाल से बतौर [illegible] काबिज काश्त है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी हरिचरण वसीयत के आधार पर अपने हक में जरिये काउण्टर क्लेम खातेदारी घोषणा कराने का हकदार है। राजस्व रिकॉर्ड में ठाकुर जी के नाम गलत खातेदारी इन्द्राज हुई है जो शून्य है। वादीगण का हित मंदिर के प्रतिकूल है। प्रतिवादी भूमि के खातेदारी इन्द्राज अपने हक मे दुरूस्त कराने का अधिकारी है। भूमि कभी भी मंदिर के खातेदारी व कब्जे काश्त की नहीं है। भूमि को प्रतिवादी को विक्रय करने का पूर्ण अधिकारी है। दावा वादीगण खारिज किया जावे काउण्टर क्लेम प्रतिवादी डिक्री किया जावे।

वहस वकील उभय पक्ष का मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन कर प्रस्तुत साक्ष्य व राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजो का विवेचन किया गय प्रकरण का तनकी बार विवेचन किया जाना उचित है। तनकी बार विवेचन निम्न प्रकार है।

विवाधक संख्या :– 01 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इस सम्बन्ध मे जमाबंदी सम्वत् 2056 से 2059 प्रदर्श –4 लिखावट तहरीर दिनांक 14–08–1968 प्रदर्शः– 1 वयनामा प्रदर्शः– 2 दिनांक 05–07–61 को गोरखी द्वारा वादी मंदिर के हक में एवं वयनामा प्रदर्शः– 03 दिनांक 23–05–61 जो राममूर्ति द्वारा वादी मंदिर के हक मे पंजीयन कराया है, एवं जमाबंदी सम्वत 2039 से 2042 प्रदर्श–4 व जामबंदी सम्बत 2039 से 2042 प्रदर्शः– 5 आवेदन भगवानदास दिनांक 13–11–63 प्रदर्श–6 जो उसने देवस्थान विभाग को दिया है की नकल प्रति एवं लिखावट तहरीर मीटिंग दिनांक 05–08–1963 प्रदर्श–7 प्रदर्श– 8 गजट

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(21)

देवस्थान विभाग व प्रदर्श–9 नियुक्ति पत्र पुजारी दिनांक 06–07–57 वंशीदास प्रदर्श–10 नियुक्ति पत्र फौती वल्लभदास दिनांक 29–03–57 प्रदर्श– 11 रजिस्टर्ड मंदिर देवस्थान विभाग वादी मंदिर के इन्द्राज बावत् प्रदर्श– 12, आवेदन भगवानदास दिनांक 24–12–63 प्रस्तुत किये है और मौखिक साक्ष्य वादी PW-1 राधेश्याम व PW-2 केशवचन्द PW-3 रामस्वरूप ने भूमि मंदिर दाऊजी के खातेदारी व कब्जे खुद काश्त की होना कथन किया है। जिसके खंडन मे प्रतिवादी द्वारा नकल जमाबंदी प्रदर्श– D-1 सम्बत् 2019 से 2022 प्रस्तुत की है। जिसमें भूमि खसरा नं. 4761 के अलावा अन्य भूमि भगवानदास के हक मे विरासत नामांतकरण संख्या 186 मृतक वल्लभदास से खातेदारी मे दर्ज हुई होना व जमाबंदी प्रदर्श D-2 सम्बत् 2023 से 2026 में भूमि भगवानदास के खातेदारी व दर्ज होना बताया है और मौखिक साक्ष्य में भूमि पर भगवान दास व हरिचरण प्रतिवादी का कब्जा काश्त होना बताया है। राममूर्ति कभी भी भूमि का खातेदार नही रहा है। इसलिए उसके द्वारा मंदिर के हक मे दिनांक 23–05–61 को कराये गये वयनामा को अवैध व शून्य होना बताया है। पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी प्रदर्श– D-1 व D-2 से भूमि प्रतिवादी के खातेदारी की होना प्रकट होता है। वादीगण को वयनामा दिनांक 23–05–61 प्रदर्श– 3 से भूमि मे खातेदारी अधिकारी प्राप्त नही होते है हालांकि दिनांक 14–08–61 की लिखापढ़ी प्रदर्श– 1 से भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मंदिर की होना भगवानदास ने स्वीकार किया है परन्तु इससे वादीगण को भूमि में खातेदारी अधिकार निहित नही होते है। प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व वयनामा प्रदर्श– 2 से खसरा नं. 4761 मंदिर वादीगण के खातेदारी खुदकाश्त की होन साबित है । ऐसी स्थिति मे विवाधक संख्या 01 खसरा नं. 4761 की हद तक वादीगण के पक्ष में एवं अन्य अराजीयात के बावत् वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादी भगवानदास के पक्ष मे तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाधक संख्या 02 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा प्रदर्श–2 वयनामा खसरा नं. 4761 का गोरकी कहार से खरीद करने का प्रस्तुत किया है एवं तहरीर पुजारी ठाकुर दाऊजी प्रदर्श– 7 व नियुक्ति पत्र पुजारी प्रदर्श – 9 प्रस्तुत किये है जिसमें स्वयं भगवानदास द्वारा वादीगण पांच आदमियों द्वारा उसे नियुक्त करना व मंदिर पर सेवा पुजा के लिए स्वीकार किया है। जिसके खंडन में प्रतिवादी द्वारा कोई दस्तावेजी सबूत स्वयं के मोहतमिम व प्रबन्धक होने का प्रस्तुत नही किया है। प्रतिवादी हरिचरण द्वारा स्वयं के पुजारी होने का नियुक्ति पत्र देवस्थान विभाग का प्रस्तुत नही किया गया है। मंदिर राजकीय सुर्पुदगी का होने से देवस्थान विभाग द्वारा पुजारी की नियुक्ति की जाती रही है मंदिर की ओर से मंदिर के हित के लिए कोई भी व्यक्ति वाद ला सकता है, एसी स्थिति मे विवाधक संख्या 02 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध तय कर निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विवाधक संख्या 03 को साबित करने का भार वादीगण पर है वादीगण द्वारा इस सम्बन्ध मे मौखिक साक्ष्य वादीगण PW-1 राधेश्याम व PW-2 केशवचन्द शर्मा व PW-3 रामस्वरूप महाजन ने प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि को विक्रय प्रभावशाली लोगो व भूमाफियाओं को करना कथन किया है, जिसे प्रतिवादी भगवानदास व हरिचरणदास द्वारा अपने जबाव दावा व साक्ष्य में इनकार किया है। भगवानदास का दौराने दाबा स्वर्गवास हो चुका है भूमि जमाबंदी प्रदर्श– D-1 व D-2 के अनुसार भगवानदास के खातेदारी में दर्ज होना साबित है, प्रतिवादी हरिचरण के हक में भगवानदास द्वारा वसीयत दिनांक 03–03–2001 को पंजीकृत करायी गई है। जिसे सब रजिस्टर द्वारा निरस्त किया जा चुका है व प्रतिवादी हरिचरण द्वारा भूमि को विक्रय किया जाना सभव नही है एसी स्थिति में विवाधक संख्या 03 वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादी के पक्ष मे तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाधक संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है प्रतिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में जमावंदी प्रदर्श D-1 व D-2 प्रस्तुत की है जिसमे भूमि प्रतिवादी भगवानदास के खातेदारी मे दर्ज है जिसमें सम्बत 2039 से 2042 मे मंदिर वादीगण के हक में इन्द्राज बिना आधार दर्ज होना बताया है। जिसके खंडन में वादीगण द्वारा लिखापढी प्रदर्श–1 दिनांक 14–08–68 प्रस्तुत की है जिसमें भगवानदास द्वारा भूमि अपने नाम गलत दर्ज होना कथन किया है

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

परन्तु भगवानदास की खातेदारी मंदिर के हक में किस दस्तावेज व रिकॉर्ड से दर्ज हुई इस बावत् वादीगण द्वारा कोई विधिवत दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नही किया है। प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजो से भी भगवान दास को नामांतकरण संख्या 186 से प्राप्त हुई होना साबित है और वादीगण मंदिर के हम मे हुए विना आधार खातेदारी इंद्राज भगवान दास के हको पर शून्य होना स्पष्ट है। जहॉ तक वादीगण का मंदिर का मौहतमीम व प्रबन्धक नही होने का प्रश्न है इस बावत् प्रतिवादी ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे प्रतिवादी स्वयं मंदिर का मौहतमिम व प्रबन्धक हो ऐसी स्थिति में विवाधक संख्या 04 से खसर नं. 4748 से 4753 व 4757 की हद तक भगवानदास के हक खातेदारी भूमि होना साबित होता है एसी स्थिति में विवाधक संख्या 04 आंशिक रूप से प्रतिवादी भगवानदास के हक में वादीगण के विरूद्ध तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाधक संख्या 05 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है परन्तु कोई साक्ष्य इस बावत् प्रस्तुत नही करने से विवाधक प्रतिवादी के विरूद्ध वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाधक संख्या 05 (A) को साबित करने का भार प्रतिवादी हरिचरण पर है इस सम्बन्ध में प्रतिवादी ने जमामंदी प्रदर्श D-1 व D-2 प्रस्तुत की है जिसमें भूमि [illegible] व भागवानदास के खातेदारी मे अंकित है एवं [illegible] नामा [illegible] D-5 प्रस्तुत किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

है जिसके द्वारा भगवानदास (25) द्वारा हरिचरण प्रतिवादी के हक में दिनांक 03–03–2001 को वसीयत नामा तहरीर कर पंजीयन कराया है परन्तु उक्त वसीयत नामा को सवरजिस्ट्रार करौली द्वारा उसी दिन निरस्त किया जा चुका है। विवाधक संख्या 1 से 3 के अनुसार विवादित आराजीयात वल्लभदास की सैटिलमैन्ट पूर्व से खातेदारी में होना प्रर्दश D-1 सम्बत 2015 से साबित है और उसकी मृत्यु के बाद भूमि प्रर्दश – 4 से सम्वत 2023 से 2026 में भगवानदास चेला सीतारामदास के खातेदारी में साबित होना माना गया है। इसलिए प्रतिवादी न. 1 के हक में खातेदारी घोषित किया जाना साबित नही होता। अतः विवाधक 05 (A) प्रतिवादी भगवानदास के हक तक निर्णित कर तय किया जाता है

विवाधक संख्या 05 (B) को साबित करने का भार प्रतिवादी हरिचरण पर है विवाधक संख्या 1,3,4 और 05 (A) से सहमत होने के कारण विवाधक संख्या 1 के निर्णय में राममूर्ति द्वारा किया गया बेचान दिनांक 23–05–61 को विना अधिकार माना जा चुका है। जिससे वादी ठाकुर जी दाऊजी को विवादित आराजीयात में कोई हक हकूक वयनामा से प्राप्त नही होते है। प्रतिवादी हरिचरण ने भगवानदास का चेला हो इस बावत् कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है वसीयत प्रर्दश D-5 को सबरजिस्ट्रर द्वारा निरस्त की जा चुकी है। भूमि भगवानदास के खातेदारी में रखाजाना विवाधकों से तय हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हरीचरण को अपने हक मे खातेदारी वादग्रस्त भूमि को कराने का हक प्राप्त नही होने से विवाधक संख्या 05 (B) को प्रतिवादी हरिचरण के विरूद्ध तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाधक संख्या 05 (C) को सावित करने का भार वादीगण पर है वादीगण द्वारा इस विवाधक के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य व नजीर पत्रावली में प्रस्तुत नही कि है चूकि की काउण्टर क्लेम प्रतिवादी हरिचरण सावित नही माना गया है। खसरा नं. 4761 कस्वा करौली वादीगण मंदिर के खातेदारी की तय की जा चुकी है। अतः विवाधक संख्या 05 (C) वादीगण के हक में आंशिक खसरा नं. 4761 की हद तक तय किया जाता है।

विवाधक संख्या 06 अनुतोष है विवाधक संख्या 1 ता 05 (C) के विवेचन से वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 4761 कस्वा करौली वादीगण मंदिर ठाकुर जी दाऊजी के खातेदारी व कब्जे खुदकाश्त की होना साबित है खसरा नं. 4748 लगायत 4753 व 4757 प्रतिवादी भगवानदास के खातेदारी व कब्जे की होना साबित है। उक्त भूमि के वादीगण मंदिर के हक में हुए खातेदारी इंद्राज विना आधार होने से शून्य है वादीगण प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से खसरा न.4761 के अलावा अन्य भूमियों के लिए पाबन्द कराने के हकदार व अधिकारी नही है। खसरा नं. 4748 लगायत 4753 व 4757 कस्बा करौली तहसील करौली भगवान दास चेल सीतारामदास के नाम पुनः खातेदारी [illegible] किया जाना उचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(27)

प्रतीत होता है। वादीगण खसरा नं. 4761 कस्वा करौली को विक्रय नही करने को प्रतिवादी को स्थिाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द कराने के अधिकारी है दावा वादीगण आंशिक डिक्री किये जाने योग्य है। खसरा नं. 4748 लगायत 4753 व 4757 कस्वा करौली वावत् खारिज योग्य हैं।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी आंशिक डिक्री किया जाता है वादी को खसरा नं. 4761 रकवा 2 वीघा कस्वा करौली तहसील करौली वादी मंदिर के नाम खातेदारी मे वदस्तूर रहेगा। खसरा नं. 4748 लगायत 4753 व 4757 कस्वा करौली कुल रकवा 10 वीघा 19 विस्वा करौली को पुनः भगवानदास चेला सीतारामदास के खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। खसरा नं. 4748 लगायत 4753 व 4757 की हद तक दावा वादीगण खरिज किया जाता है काउण्टर क्लेम प्रतिवादी हरिचरण खारिज किया जाता है खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 25–02–2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner